न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 04/2022

अनवान :–

1. दुनीराम पुत्र हीरराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. गुडी पुत्री रामसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. महेन्द्र पुत्र रामसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र सिह पुत्र रामसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. शेरसिह पुत्र रामसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. मदनसिह पुत्र रामसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. रविन्द्र सिह पुत्र बंगडावत सिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. रामुकंवर पत्नी बंगडावत सिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. सरोज पत्नी प्रतापसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. भंवरी पुत्री हरू जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
10. रतना पुत्री हरू जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
11. विक्रम पुत्र प्रतापसिह पुत्र हरू जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
12. लक्ष्मण सिह पुत्र प्रतापसिह पुत्र हरू जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
13. रामप्रताप पुत्र हीराराम जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
15. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैक शाखा जसाना तहसील नोहर।
16. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा नोहर तहसील नोहर।
17. रामप्रताप पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 11/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मोजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 42/43 में कुल 1.1400हैक कृषि भूमि सायल के नाम से दर्ज है जिसका सायल खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 के कुल खसरे 47 की कुल 8.1090हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 12 की शामिल खाते की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रोही मोजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 136/42 के कुल खसरे 8 की कुल 1.0120हैक भूमि गैरसायल संख्या 13 के नाम से दर्ज है गैरसायल की भूमि का सह खातेदार हरू पुत्र गणपतराम है जिसका स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान गैरसायल संख्या 9 ता 12 है।

चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 42/43 की कुल 1.1400हैक भूमि पर सायल काबिज है लेकिन सायल की भूमि में आने ज[illegible]ये कोई स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है इसलिये सायल का भारी परेशा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:02 IST
Reason: SelfAttested

सायल की भूमि के कि[illegible] भूमि गैरसायल के कि[illegible]0 4/2 के चिपती हुई है इसलिये सायल गांव जसाना से [illegible]कर स्वीकृतशुद्वा रा[illegible] होता हुआ

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 की कुल 8.1090हैक्ट के प0न0 316/402(34) के किला न0 4/2 की 0.2280हैक्ट में से मिन पूर्व की 0.013हैक्ट भूमि में से होते हुए गैरसायल संख्या 13 के प0न0 316/402(34) किला न0 7/2 के मिन उत्तर की 0.0025हैक्ट भूमि में प्रवेश करते हुए सायल अपनी खातेदारी भूमि के किला न0 7/2 में प्रवेश कर जाता है जिसे सायल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है सायल को अपनी भूमि में आने जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है।

सायल गैरसायल न0 1 ता 12 के प0न0 316/402(34) के किला न0 4/2 मिन पूर्व की 0.013हैक्ट भूमि व सायल संख्या 13 के प0न0 316/402(34) के किला न0 7/1 की 0.025हैक्ट में से मिन उत्तर की 0.0025हैक्ट रास्ता की भूमि के बदले में सायल के चिपती भूमि है के बदले में डीएलसी दर की दुगनी किमत देने को तेयार है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 के प0न0 316/402(34) के किला न0 4/2 की कुल 0.228हैक्ट के मिन पूर्व की 0.013हैक्ट व प0न0 316/402(34) के किला न0 7/1 की 0.0025हैक्ट में से मिन उत्तर में रास्ता स्वीकृत फरमावे बदले में डीएलसी दर से राशि देने का तैयार है।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ,3, 4, 6 ता 12 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई तथा गैरसायल संख्या 2 ,5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में मु0न0 34 के किला न0 4 ,7 में से रास्ता चाहा गया है वहा पर गैरसायल का टयूबैल लगा हुआ है इसलिये रास्ता नही दिया जा सकता है सायल ने जिस खाते में रास्ता चाहा गया है वह शामिल खाते की भूमि है जिसका खाता विभाजन करवाये बिना रास्ता दिया जाना उचित नही है गैरसायल हरू फोत हो चुका है जिसके वारिसान का पता नही है सायल अन्य खातेदारों के खेत में से आवागमन करता आ रहा है अर्थात सायल का रास्ता उपलब्ध है इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे गैरसायल संख्या 13 ने सायल के प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नही किया गैरसायल संख्या 13 का अन्य प्रार्थना पत्र रास्ता प्राप्त करने हेतु विचाराधीन है।

गैरसायल संख्या 2 ,5 का जबाब व तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट शामिल की जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मोजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 42/43 में कुल 1.1400हैक्ट कृषि भूमि सायल के नाम से दर्ज है जिसका सायल खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 के कुल खसरे 47 की कुल 8.1090हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 12 की शामिल खाते की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रोही मोजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 136/42 के कुल खसरे 8 की कुल 1.0120हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 13 के नाम से दर्ज है गैरसायल की भूमि का सह खातेदार हरू पुत्र गणपतराम है जिसका स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान गैरसायल संख्या 9 ता 12 है।

चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 42/43 की कुल 1.1400हैक्ट भूमि पर सायल काबिज है लेकिन सायल की भूमि में आने जाने के लिये कोई स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है इसलिये सायल का भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:02 IST
Reason: SelfAttested

सायल की भूमि के किला न0 7/2 की भूमि गैरसायल के किला न0 4/2 के चिपती हुई है इसलिये सायल गांव जसाना से निकलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होता हुआ

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 की कुल 8.1090हैक्ट के प0न0 316/402(34) के किला न0 4/2 की 0.2280हैक्ट में से मिन पूर्व की 0.013हैक्ट भूमि में से होते हुए गैरसायल संख्या 13 के प0न0 316/402(34) किला न0 7/2 के मिन उत्तर की 0.0025हैक्ट भूमि में प्रवेश करते हुए सायल अपनी खातेदारी भूमि के किला न0 7/2 में प्रवेश कर जाता है जिसे सायल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है. सायल को अपनी भूमि में आने जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 के प0न0 316/402(34) के किला न0 4/2 की कुल 0.228हैक्ट के मिन पूर्व की 0.013हैक्ट व प0न0 316/402(34) के किला न0 7/1 की 0.0025हैक्ट में से मिन उत्तर में रास्ता स्वीकृत फरमावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में मु0न0 34 के किला न0 4 ,7 में से रास्ता चाहा गया है वहा पर गैरसायल का टयूबैल लगा हुआ है इसलिये रास्ता नही दिया जा सकता है सायल ने जिस खाते में रास्ता चाहा गया है वह शामिल खाते की भूमि है जिसका खाता विभाजन करवाये बिना रास्ता दिया जाना उचित नही है गैरसायल हरू फोत हो चुका है जिसके वारिसान का पता नही है सायल अन्य खातेदारों के खेत में से आवागमन करता आ रहा है अर्थात सायल का रास्ता उपलब्ध है इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया।

रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 42/43 की कुल 1.1400हैक्ट भूमि का सायल खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 की कुल 8.1090हैक्ट भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 12 के नाम शामिल खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 136/42 की कुल 1.0120हैक्ट भूमि गैरसायल न0 13 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल अपनी खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 24 जेएसएन में आने जाने के लिये रास्ता चाहता है।

प्रकरण में दुनीराम सायल, गुडडी आदि गैरसायलान से रास्ता चाहता है इसी प्रकार एक प्रकरण और विचाराधीन है जिसमें रामप्रताप सायल, गुडडी आदि गैरसायलान से रास्ता चाहता है दोनो सायलान को इस प्रकार से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है जिससे गैरसायलान को भी नुकसान ना हो, गैरसायल गुडडी को रास्ते में जितनी भूमि आती है उससे दुगनी भूमि दिया जाना उचित है जिससे गेरसायलान के हकों की सुरक्षा हो सके।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल की भूमि के प0न0 316/402(34) के किला न0 4/1 ,5/1 में उत्तर की और स्वीकृत शुद्वा रास्ता है जिससे सायल की भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायल गैरसायल से मांगे हुए रास्ते से गै0मु0 खाला के पास पगडडी से अपने खेत में आवागमन करता है सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये इस पगडडी के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है यही रास्ता तथा तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के किला न0. 4/1 में रास्ता दिया जाना उचित है यही रास्ता सायल एवं गेरसयाल के लिये उचित रहेगा जिससे गैरसायल संख्या 1 ता 12 की भूमि के टुकडे ना हो सके और काश्त में किसी प्रकार की परेशानी ना हो।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्वा रास्ता से सायला की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतित होता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतित होता है जिससे गैरसायलान को भी नुकसान नही हो रहा है यह पत्थर लाईन पर स्थित है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं किसी प्रकार की आपत्ति पेश नही होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 24 जेएसएन के प0न0 316/402(34) के किला न0 4/1 मीन पश्चिम में की 0.013हैक भूमि उत्तर से दक्षिण तरफ रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायल रास्ता में जितनी भूमि आती है उसकी दुगनी भूमि गैरसायलान न0 1 ता 12 को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए प0न0 316/402(34) के किला न0 4/1 के चिपते हुए दक्षिण दिशा में पुर्व से पश्चिम भूमि देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/03/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:02 IST
Reason: SelfAttested